न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री दयाराम पिता सेणीराम जी कुम्हार (कुमावत) निवासी नीमचमाता स्कीम गायरियों के देवरे के पास देवाली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बसन्तीदेवी पुत्री दयाराम जी कुम्हार (कुमावत) पत्नी दलपत कुमावत निवासी धोली बावड़ी, देहलीगेट अन्दर उदयपुर जिला उदयपुर
2. श्रीमती रतनदेवी पुत्री दयाराम जी कुम्हार (कुमावत) पत्नी रामकिशन जी कुमावत निवासी–8 कुमावतों की मगरी फौज मोहल्ला नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्रीमती रोशनदेवी पुत्री दयाराम जी कुम्हार (कुमावत) पत्नी प्रकाश जी कुमावत निवासी मकान नंबर 18 देहलीगेट अन्दर नयापुरा उदयपुर
4. श्रीमती मनुदेवी पुत्री दयाराम जी कुम्हार (कुमावत) पत्नी अशोक जी कुमावत निवीस डायमण्ड कॉलोनी भुवाणा उदयपुर
5. श्री लक्ष्मीलाल पिता दयाराम जी कुम्हार (कुमावत) निवासी नीमचमाता स्कीम गायरियों के देवरे के पास देवाली उदयपुर
6. श्री प्रकाश पिता दयाराम जी कुम्हार (कुमावत) निवासी नीमचमाता स्कीम गायरियों के देवरे के पास उदयपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा दिनांक 16–03–2017
प्रकरण संख्या 377/2013

———/———

उपस्थित :–1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 3
3– श्री औंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4

——————/——————

निर्णय **दिनांक 13–09–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 5 के सजरे में मूल पुरूष सेणीराम का पुत्र दयाराम होकर उसके 4 पुत्रियां बसन्तीदेवी, मनुदेवी, रतनदेवी, रोशनदेवी तथा 2 पुत्र लक्ष्मीलाल व प्रकाश है। आवेदन में मूल पुरूष सेणीराम जी का निधन लगभग वर्ष पूर्व हो गया (वर्ष अंकित नहीं किये है) जिनका पुत्र दयाराम होकर प्रार्थी होकर रेस्पोन्डन्ट उनके पुत्र पुत्रियां है। पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। पक्षकारान की मोरूषी संपत्ति ग्राम देवाली में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या–3 अनुसार कूल किता–2 रकबा .245 हैक्टर है। यह भूमियां सेणीराम जी के बाद विरासत से प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज हुई, परन्तु कब्जा सेणीराम जी के समय से सभी पक्षकारान का है। भूमियां प्रार्थीगण के दादा जी की है। दयाराम की क्रयशुदा भूमियां नहीं है। इन भूमियों में प्रार्थीगण का पैदायशी हक अधिकार है। विपक्षी दयाराम इन भूमियों को बेचने को अमादा है, जबकि इन भूमियों में उनका मोरूषी हक है। अतएव अपीलान्ट विपक्षी दयाराम को इन भूमियों को विक्रय/हस्तानान्तरण नहीं करने व प्राथीगण को बेदखल नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में अपीलान्ट विपक्षी को जवाब के लिए दिनांक 29–4–2015 से लेकर 16–2–2017 तक अवसर दिया गया तथा दिनांक 16–2–2017 को अंतिम अवसर देकर 16–3–2017 की तिथि दी गई। दिनांक 16–3–2017 को जवाब प्रस्तुत नहीं होने से बन्द किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट विपक्षी को विवादित आराजीयात को मूल वाद तक रेकर्ड व मौके की यथास्थिति रखने का आदेश पारित किया।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–3–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट विपक्षी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–5–2017 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 की और से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4 की और से अधिवक्ता श्री औंकारलाल

डांगी ने उपस्थिति दी। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों मे लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

दौराने कार्यवाही वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश –41, नियम 27 के तहत निम्नानुसार दस्तावेज पेश किय :–

1. **म्युटेशन संख्या 110 जो सेणीराम के बजाय नारानी बाई के नाम खुलकर स्वीकृत हुआ, उसकी फोटो प्रति**
2. **जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 तक की साबिक नम्बरों की फोटो प्रति**
3. **गोदनामें की फोटो प्रति**
4. **म्युटेशन संख्या 318 जो नारानी बाई से दयाराम के नाम खुलकर स्वीकृत हुआ उसकी फोटो प्रति**
5. **जमाबन्दी सम्वत् 2048 से 2051 की फोटो प्रति**
6. **नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति**
7. **जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 की फोटो प्रति**

उपरोक्त सभी दस्तावेजात फोटो प्रतियां होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।

प्रकरण में अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय की निषेधाज्ञा विधि विरूद्ध है। भूमियां मोरूषी होने के बाबात् कोई साक्ष्य नहीं है। भूमियां दयाराम की व्यक्तिगत जायदाद है। सेणीराम का स्वर्गवास 1961 में हुआ तथा उसके बाद यह विवादित जमीन नारानी बाई बेवा सेणीराम के नाम दर्ज हुई अर्थात सेणीराम जी के देहान्त के समय एकमात्र वारिस वादी थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तत्वों पर यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का संतुलन व अपूर्णीया क्षति के सिद्धान्तों पर वर्णन किये बिना निर्णय पारित किया है। सेणीराम के बाद भूमियां नारानी बाई में वेस्ट होकर नारानी बाई के द्वारा दयाराम जी को गोद लिया एवं एडोपसन एक्ट की धारा–12 के अनुसार जो जायदाद मृतक के वारिसान में वेस्ट हो चुकी है, उसे बाद में गोद लिए गये पुत्र में डाइवेस्ट करने के कोई अधिकार नहीं है। जायदाद नारानी बाई ने वेस्ट होने के बाद इस जमीन का मालिक दयाराम

होता है तथा दयाराम को यह जमीन अपनी माता से प्राप्त हुई है। इस कारण इसे मोरूषी जायदाद नहीं कहा जा सकता।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय निम्नानुसार पारित किया है :–

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचना एं जारी की गई
16–3–2017	बकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादीगणों को पूर्व मं जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया था। परन्तु आज भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अतः विपक्षी संख्या 1 से 4 का जवाब अवसर बन्द किया जाता है। वादी अधिवक्त को सुना गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त मौजा देवाली प0 ह0 शोभागपुरा तहसील बड़गांव की आराजी नंबर 2036 रकबा 2.0250 एवं आराजी नंबर 2381 रकबा 0.2200 भूमि पर तावाद निस्तारण तक स्थगन जारी किया जाता है विपक्षीगण मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नं. से कम हो। **ह0/–** **सहायक कलक्टर** **(फास्ट ट्रेक) गिर्वा**	

अर्थात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट प्रार्थी का जवाब बन्द करने के बाद प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए वांछनीय प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त पर विचार नहीं किया है। किसी भी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने से पूर्व यदि विपक्षी का जवाब बन्द भी हो जाये तो भी प्रार्थी के आवेदन प्रमाणित होने पर ही अस्थाई निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए। प्रकरण में जहां तक प्रथम दृष्टया प्रकरण का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रकरण का अधिनस्थ न्यायालय में जो विवादित आराजीयात की जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 पेश की है, उसमें यह भूमियां दयाराम मुतबन्ना सेणीराम दर्ज है तथा भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक अनुसार यह भूमियां पूर्व में नारानी, देवा, सेणीराम के नाम दर्ज रही है। इन दोनों दस्तावेजों से

यह प्रकट होता है कि भूमियां पूर्व में सेणीराम की थी तथा सेणीराम से यह भूमियां उसकी बेवा नारानी के नाम आई तथा नारानी से यह भूमियां दयाराम के नाम आई अर्थात अपीलान्ट को यह भूमियां उसकी माता से प्राप्त हुई है। तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा–15 अनुसार किसी निरवसीयती हिन्दू महिला का प्रथम उत्तराधिकार उसके पुत्र व पुत्रियों का होता है। तर्क के लिए यदि यह मान भी लिया जाय कि भूमियां सेणीराम से दयाराम को मिली तो भी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा–8 के तहत पिता के जीवनकाल में दादा की संपत्ति में उसके पोतों (अर्थात पिता के पुत्रों) का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि वे प्रथम अनुसूची के उत्तराधिकारी पुत्र के जीवनकाल में उसके साथ अन्य अनुसूचियों में नहीं जाया जा सकता। इस प्रकरण में भूमियों के सेणीराम को उक्त भूमियां उसके पिता से प्राप्त होकर कोपासनरी भूमियां होने की कोई प्लीडिंग्स व साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की समक्ष प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पोन्डेन्ट प्रार्थी का माने जाने का कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तत्वों पर विवेचन किये बिना तथा उपलब्ध साक्ष्यों की अनदेखी कर सरसरी निर्णय से प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जबकि उनके (रेस्पोन्डेन्ट प्रार्थी) पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रतीत नहीं होता। अतएव सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त भी उनके पक्ष में नहीं माने जा सकते।

समग्र रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–3–2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलान्ट विपक्षी तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16–3–2017 को अपास्त किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13–09–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर